

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(निबन्ध)अकाद/निकाशि/2012/ 438

दिनांक: 3 दिसम्बर, 2012

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय, सिरौही/भोपालगढ़।

राजकीय महिला महाविद्यालय, करौली/सिरौही।

राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा/नागौर/भरतपुर/धौलपुर/अलवर/पाली/सिरौही।

विषय- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित नहीं करने बाबत।

संदर्भ- निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक: 360 दिनांक 19.9.12, 394 दिनांक 29.10.12, व 400 दिनांक 31 अक्टूबर 2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान निदेशालय के संदर्भित समसंख्यक पत्रांकों की ओर आकर्षित कर लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई घोषणा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से निबन्ध प्रतियोगिता महाविद्यालयों में आयोजित करवाई जानी थी। लेकिन आपके महाविद्यालय द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित कर सूचना निदेशालय को नहीं भिजवाई गई है, इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में निदेशालय को भिजवाये।

भवदीय,

डॉ. निभाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(निबन्ध)अकाद/निकाशि/2012/ 438

दिनांक: 3 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. सम्बन्धित सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

डॉ. निभाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर